

# कार्यालय नगर पंचायत रामपुर कारखाना, जनपद-देवरिया

संख्या-1054(I-5)/न0प0रा0का0-2014-15

दिनांक-01.09.2014

## अल्पकालीन निविदा सूचना:-

वित्तीय वर्ष 2014-2015 हेतु नगर पंचायत रामपुर कारखाना, जनपद-देवरिया में आटसोर्सिंग (ठेका) के माध्यम सफाई कार्य/कम्प्यूटर कार्य की सुचारु रूप से संचालन हेतु कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। ठेके पर श्रमिकों की आपूर्ति हेतु 3 फर्मा/निविदादाताओं/सेवाप्रदाताओं के माध्यम से निर्मांकित श्रमिकों के प्रतिदिन दर के सम्बन्ध में मुहरबन्ध निविदाएं दिनांक-02.09.2014 को आमन्त्रित की जाती है। जो अपराह्न 2:00 बजे तक कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी जो उसी दिन आ 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र नगद मूल्य 5000रु. जमा कर कार्यालय से दिनांक-08.09.2014 को 11.00 बजे से 2:00 बजे दिन तक प्राप्त किया जा सकता है। जो NIC.in deoria की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

## श्रमिकों का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	श्रमिकों का प्रकार	योग्यता
1-	सफाई श्रमिक:- नाला नाली एवं अन्य सफाई कार्य	स्वस्थ मजदूर
2-	कार्यालय लेखन/कम्प्यूटर आपरेटर	लिपिकीय कार्य का अनुभव/इण्टर मिडिएट (कम्प्यूटर ज्ञान)

## नियम एवं शर्तें :-

1. शर्तें निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा डालने के पूर्व निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तों का अवलोकन/जानकारी कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।
3. निविदादाता को श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र कुशल श्रमिकों पर लाभांश एवं अन्य देयों सहित दर (मेमोरण्डम) विनिविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता द्वारा प्रति श्रमिक को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में रु. 250.00 प्रतिदिन की दर से दिया जाना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो 10 लाख रु. से कम नहीं, को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ रु. 20 हजार की जमानत धनराशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर./टी.डी.आर. के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना-देवरिया के नाम बंधक होगा, को जमा करना अनिवार्य होगा।
7. बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा स्वीकृति के पश्चात आवश्यकतानुसार श्रमिकों की आपूर्ति हेतु संख्या का निर्धारण कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
9. निविदादाता को आयकर/व्यापार कर एवं श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य हो, छाया प्रति संलग्न करें।
10. निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदादाता को निर्धारित स्टाम्प पर अपने खर्च से अनुबन्ध करना आवश्यक होगा।
11. निविदा स्वीकृति के पश्चात आपूर्ति दाता के बिल से नियमानुसार निर्धारित करों की कटौती की जायेगी।
12. बिना कारण बतायें किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय में निहित होगा।

13. *(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
अध्यक्ष

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत रामपुर कारखाना  
जनपद-देवरिया

नगर पंचायत रामपुर कारखाना  
जनपद-देवरिया

- प्रतिलिपि- 1. जिलाधिकारी देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्र0अ0 देवरिया को सूचनार्थ।  
3. NIC.in Deoria पर अपलोड करने हेतु।  
4. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान गोरखपुर को अगले अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
5. सूचना बोर्ड पर चरप्पा हेतु।

*(Handwritten signature)*  
अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत रामपुर कारखाना  
जनपद-देवरिया

*(Handwritten signature)*  
अध्यक्ष

नगर पंचायत रामपुर कारखाना  
जनपद-देवरिया